

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :- इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 2/2015/एलआर

गंगाराम पिता खुमा जाट
निवासी फतहपुरा तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्त

बनाम

राज्य जरिये तहसीलदार, भदोसर, जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
दिनांक 27.02.2015 प्रकरण सं. 18/2014

- उपस्थित — 1. श्री छोगालाल जाट — अभिभाषक अपीलान्त
2. श्रीमती वन्दना चौखडा — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक— 24.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्त ने संवत् 2071 मे मौजा फतहपुरा तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 418 रकबा 0.01 है0 एवं आराजी नम्बर 419 रकबा 0.45 है0 भूमि मक्का, ज्वार, चरी एवं मिर्च बो कर कब्जा किया है व उक्त आराजीयात पर गत वर्ष भी अपीलान्त का कब्जा रहा है, जिस आराजीयात पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया पर अपीलान्त की प्रोपर तामील हुए बगैर अपीलान्त के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलान्त के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए मौके से बेदखल करने एवं लगान की पचास गुणा शास्ति आरोपित कर बेदखली व अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण के जुर्म मे 60 दिन की सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित दिया, जिसके विरुद्ध अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी जो अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर बेदखली एवं जुर्माने को यथावत रखते हुए सिविल कारावास का निर्णय इस शर्त पर स्वीकार किया कि अपीलान्त ने विवादित भूमि से

कब्जा छोड़ दिया हो, व कब्जा नहीं छोड़ा हो तो उसे दी गयी सजा का आदेश स्वतः ही बहाल समझा जावे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत बयानों से अपीलान्त को जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया। पटवारी हल्का ने ऐसा कोई दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां ही पत्रावली में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अपीलान्त का पश्चावतर्ती अतिक्रमण रहा हो। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्त ने यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27/02/2015 एवं तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25/11/2014 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्त द्वारा बयान किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि अपीलान्त को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर जिरह का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा पटवारी हल्का ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे यह माना जा सके कि अपीलान्त द्वारा बार-बार राजकीय भूमि पर नियमित रूप से अतिक्रमण किया जा रहा हो साथ ही यह भी उल्लेख किया कि अपीलान्त को विधिवत तामील के बिना विधि विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अतिकमी मानते हुए मौके से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित कर बेदखल करने के अतिरिक्त पश्चातवर्ती अतिकमी के रूप में 60 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस दलील दी गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्त खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत दलीलो पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय 27/02/2015

अपास्त होने योग्य है। फलतः अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 18/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 27/02/2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सम्बन्धित पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़